

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 176/2016

बउनवान

महावीर पुत्र मांगीलाल, जाति मीना, आयु 26 वर्ष निवासी जगन्नाथपुरा, तहसील बारां,
जिला—बारां (राज०) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बारां, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री मदन मोहन नागर, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)


निर्णय दिनांक 05.08.2024

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील—बारां की चारागाह आराजी खसरा नम्बर 293 रकबा 0.20 है., पर अतिक्रमी मानकर 100/- रुपये शास्ति एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व इससे पूर्व कब प्रार्थी को बेदखल किया उसका कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय परफोर्मा पर आधारित है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता। अपीलांट के खेत से लगवां खाली भूमि पड़ी हुई है जिस पर अपीलांट ने फसल तैयार की है तथा फसल तैयार करना अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आता। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार बारां द्वारा टीम गठन कर गहनता से सर्च करने के उपरान्त भी वांछित अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर अभिलेख भिजवाये जाने में असमर्थता प्रकट की। इस पर हमने पत्रावली में संलग्न रेकार्ड के आधार पर ही प्रकरण में बहस समाप्त कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं परोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलांट को कभी भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व इससे पूर्व कब प्रार्थी को बेदखल किया


जिला कलक्टर
बारां (राज०)

उसका कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय परफोर्मा पर आधारित है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता। अपीलांट के खेत से लगवां खाली भूमि पड़ी हुई है जिस पर अपीलांट ने फसल तैयार की है तथा फसल तैयार करना अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।


इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। मात्र प्रमाणित प्रति निर्णय में संवत् 2068 में अतिचार करने पर प्रकरण संख्या 172/2010 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2010 से बेदखली की कार्यवाही किये जाने का अंकन है। ऐसी स्थिति में हम अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते हैं।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 314/14 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.03.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(रोहिताश्रव सिंह तोमर)
जिस्मा कलक्टर बारां
घारां (उप०)